भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1882

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों की आय दोगुनी करना

1882. श्री बलराम नाइक पोरिकाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान किसानों की आय को दोगुना करने में क्या प्रगति हुई है और इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) पीएम-किसान योजना के कार्यान्वयन की स्थिति और कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(ग) प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये बजट अनुमान कर दिया है। किसानों की समग्र आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
5. एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय दो गुनी से भी अधिक बढ़ाई है।

(ख): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसे 1 दिसंबर, 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कुछ अपवाद मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान रख सकें। इस योजना के तहत, 6000/-रुपये प्रति वर्ष की राशि 2000/-रुपये की तीन 4-मासिक किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

दिनांक 05/03/2025 तक, इस योजना के तहत, लाभार्थी किसान परिवारों को 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजना का लाभ प्रदान किया गया था।

(ग): देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। मिशन के कार्यान्वयन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश दिनांक 26.12.2024 को जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के तहत एक स्वतंत्र केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका प्रस्तावित परिव्यय 2481.00 करोड़ रुपये है, (भारत सरकार का हिस्सा 1584.00 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 897.00 करोड़ रुपये है)।

प्राकृतिक खेती (एनएफ) एक रसायन मुक्त खेती है, जिसमें पशुधन (अधिमानतः स्थानीय नस्ल की गाय) एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में निहित विविध फसल प्रणालियाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य अधिक जलवायु अनुकूलता के साथ मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना और किसान की इनपुट लागत को कम करना है।

*****